


दि. 31.7.24 को पेश होने।


SDO


31.7.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।
साक्ष्यवादी हेतु अवसर माया। उक्त लोअरिफ
अवसर दिया जाकर पत्रावली करने साक्ष्यवादी

दि. 6.8.24 को पेश होने।



SDO

06.08.2024

Note
man


पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।
वकील वादी प्रकरण में न्यायालय की आज

तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील वादी ने नोट-प्रेसन करते का निवेदन किया। वकील वादी द्वारा नोट-प्रेसन करने के आशार पर वाप खारिज किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल शूमार होकर वाप तहसील दाखिल दफ्तर होवे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा